UPSI180003042016

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

फौजदारी वाद संख्या-339/ 2016

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजक।

बनाम

जगन्नाथ पुत्र मन्नालाल,

निवासीग्राम बंशीपुर, थाना कोतवाली महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

.....अभियुक्त।

अपराध संख्या-295/ 2015
धारा-60 आबकारी अधिनियम,
थाना-महमूदाबाद, जिला-सीतापुर।

निर्णय

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पुलिस थाना महमूदाबाद द्वारा अभियुक्त जगन्नाथ के विरुद्ध अपराध संख्या-295/ 2015, धारा-60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी उ०नि० अशोक कुमार यादव द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लिखायी गयी कि, "दिनांक-03.11.2015 को समय 22.40 बजे थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त व तलाश वांछित अभियुक्त ग्राम बंशीपुर की ओर से चले तो बेनीराम इंटर कॉलेज के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल की हेड लाइट की रोशनी में तीन व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की पिपिया लिये नहर की तरफ जाते हुए दिखाई दिये। एक बारगी दबिश देकर अभियुक्त जगन्नाथ को पकड़ लिया गया, जिसके कब्जे से करीब 5 लीटर तरल पदार्थ बरामद किया गया। बरामदशुदा पिपियों की ढक्कन खोलकर सूंघा गया तो उनमें से देशी शराब की तीक्ष्ण गंध आ रही थी।"

3. अभियुक्त **जगन्नाथ** की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री राधेलाल चौहान द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-276 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपर्युक्त वाद में प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी अपने ऊपर लगाया गया अभियोग स्वीकार करता है। न्यायहित में प्रार्थी/ अभियुक्त पर न्यूनतम अर्थदण्ड लगाकर वाद निर्णीत किया जाए।

4. अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल बयान के आधार पर उसके विरुद्ध धारा-60 आबकारी अधिनियम का आरोप साबित है। अतः अभियुक्त उपर्युक्त जुर्म इकबाल बयान के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त को धारा-60 आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

लंच बाद दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली न्यायालय के समक्ष पुनः पेश हुई। अभियुक्त दिनांक-12.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।

UPSI180003042016

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.04.18 17:30:15 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। घर का अकेला कमाने वाला है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का कथन किया गया।

उक्त वाद न्यायालय के समक्ष वर्ष 2016 से लम्बित है। अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा गरीब मजदूरी पेशा है तथा वह दिनांक-12.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त **जगन्नाथ** को अपराध संख्या-295/2015, धारा-60 आबकारी अधिनियम, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर के अपराध में दोषी पाते हुए प्रस्तुत मामले की धारा-60 आबकारी अधिनियम में रु० 2000/-(दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड तथा जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर उसे 10 दिन के साधाराण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक-18.04.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-18.04.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)